

राजस्थान-सरकार
राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना जिला झुंझुनू (राजस्थान)
(दिनांक 14.05.2022 शनिवार)
द्वितीय लोक अदालत बैच न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत बुहाना

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 69/2022

GCMS NO- -----

किस्म मुकदमा :-136 LR Act.

उनवान- हीरालाल बनाम राज0 सरकार

:-आदेश:-


दिनांक : 14.05.2022

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का कलाखरी के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	कलाखरी	ग्राम कलाखरी की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 232 के हाल खसरा 429	हीरालाल पुत्र मातादीन जाति सुनार	हीरालाल पुत्र मातादीन जाति ब्राहमण


(सुनील कुमार चौहान)

(सुनील कुमार चौहान)
राष्ट्रीय लोक अदालत बुहाना
बुहाना जिला झुंझुनू


(स्वाती पारीक)

अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत
बुहाना जिला झुंझुनू

क्रमांक :- राजस्व / 2022 /

दिनांक :-14.05.2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हीरालाल पुत्र मातादीन जाति ब्राहमण निवासी कलाखरी तह0 बुहाना जिला झुंझुनू को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक तहसीलदार बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
जिला झुंझुनू